

Meaning and Importance of Land Reforms

भारतीय कृषि भारत की अवस्था की गणबुत आया है। भारतीय कृषि संजगा के साम-साम उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या कृषि उपज में वृद्धि करना है। भारतीय कृषि का प्रमुख संबंध भूमि अवस्था से है। भारतीय कृषि की उपज कम होने के कई कारणों में से भूमि अवस्था की गलत प्रणाली अथवा दोषपूर्ण अवस्था, दोषपूर्ण स्वामित्व की प्रथा प्रमुख है। भूस्वामित्व की प्रथा से लगाए गए हर्ष उस प्रथा से है जिससे कृषक किसी व्यक्ति की भूमि पर उसके अधिकार एवं दायित्व का निर्धारण किया जाता है तथा कस्तरा एवं भूस्वामि अथवा सरका के बीच संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। भारत में भूस्वामित्व की प्रथा में अनेक दोष हैं जिसके कारण यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई है। देश में भूस्वामित्व की प्रथा को दूर करने के लिए जो सुधार अपनाए जाते हैं उन्हें भूमिसुधार कहा जाता है। भारत में भूमि सुधार के अन्तर्गत अनेकों कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे भूमि सुधार को बल मिलता है इसके अन्तर्गत मध्यमस्तर का उपभूतन, कस्तराकारी कानून में सुधार, जौत का सीमा निर्धारण, जौत की चक्करी, उपभोगन एवं अपभोगन को दूर करना आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके की कृषि कार्य, उत्तम खाद, बीज एवं सिंचाई आदि के द्वारा भूमि सुधार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भूमि सुधार के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं।

(1) कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उन सभी रुकावटों को दूर करना जो भूमि अवस्था के वर्तमान ढाँचे के कारण उत्पन्न होती हैं।

(2) कृषि के क्षेत्र में सभी प्रकार के शोषणों का अंत का समानता के आधार पर कृषि में सामाजिक न्याय की स्थापना करना।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि सुधारों का विशेष महत्व है। भारत का आर्थिक विकास वास्तव में कृषि के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि अच्छी खाद, बीज, सिंचाई आदि की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके लिए भूमि की अवस्था भी उपयुक्त होनी चाहिए। यदि भूस्वामित्व की अवस्था दोषपूर्ण हो तो कृषि क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकेगी। ऐसी अवस्था में भूमि सुधार द्वारा ही भूमि अवस्था को दूर किया जा सकता है।

कृषि के क्षेत्र में कचरा एवं विनिमोज में वृद्धि करने के लिए भूमि सुधारों का महत्व है। कृषि उत्पादन में सभी वृद्धि हो सकती है। जब किसान कोषण कचरा हो यदि भूमि अवस्था के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता हो तो उसके पास रोजी निर्माण के लिए कचरा ही नहीं हो सकेगी। अतः भूमि सुधार द्वारा

बन्धन एवं विविधोग में मुक्ति करने के लिए इस प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सकता है।

देशों के आर्थिक क्षेत्रों में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भी भूमि सुधार की आवश्यकता है। भारत में अस्वास्थ्य की दोषपूर्ण प्रथा के कारण भूमि की कार्यक्षमता गिरा हुआ लोगों के पास ही केन्द्रित है और 'कार्यक्षम किसानों' के पास बहुत कम ही जमीन है या वे अगिहिन हैं। इस अवस्था के कारण सम्पत्ति एवं आम की वितरण की विषमता में वृद्धि होती है। अतः इस प्रकार के विषमता को दूर करने के लिए प्रथा आर्थिक न्याय को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भूमि सुधार की निरंतर आवश्यकता है यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो देश में व्याप्त अशांति फैलने का भय है जिससे सारी अव्यवस्था दिग्ग-भिन्न हो जाएगी भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए जो नीति अपनायी जाती है उसे भूमि नीति कहते हैं भूमि नीति के दो उद्देश्य प्रथम है

① भूमि की उपज में कार्यक्षमता बढ़ा देना।

② धन एवं आम की विषमता को दूर कर दोनों की अवस्था में सुधार लाना उन्हे शोषण को समाप्त करना तथा आर्थिक न्याय के विभिन्न वर्गों को विकास के समुचित अवसर प्रदान करना।

भूमि सुधार अधिनियम 1948 ई. में भूमि सुधार समिति ने भूमि अधिनियम में सुधार लाने के लिए कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिसे प्रोचन आयोग में स्वीकार किया गया। यह सिद्धान्त भी दो उद्देश्यों से संबंधित हैं।

① कार्य अधिनियम के द्वारा किसानों को आर्थिक विकास होना चाहिए।

② उत्पादन क्षमता को अधिक किया जाना चाहिए ③ भूमि अधिनियम ऐसी है जिसमें किसानों की शोषण अवस्था समाप्त होना चाहिए ④ भूमि सुधार कार्यक्रम व्यवहारिक भी होना चाहिए।

भूमि अधिनियम में किसान एवं साधारण के बीच मध्यस्थों को समाप्त किया जाना चाहिए और देश के जमींदारी प्रथा तथा मध्यस्थों को समाप्त किया जाना है इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में कार्यक्षमता कुशलता प्राप्त करना, वैधानिक रूप से लागू का निर्माण करना, जंगलों के उपनिवेश तथा तथा अपराधों को दूर करना, आर्थिक जोतों का निर्माण करना एवं भूमि के लिए भूमिहिन के बीच भूमि का वितरण करना आदि उद्देश्य भी होना चाहिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ परियोजना आवश्यक हो जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं ① जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, रेंडो की अवस्था में सुधार के लिए कानून में परिवर्तन, जोतों का सीमा निर्धारण, जोतों की चप्पड़ी, जोतों के आधा को पूरा करना, कुछ कार्य में कर्मों का प्रयोग, बिजली, रेल, विजली, शिक्षा का सशक्ति प्रबंध होना, वैसमी प्रबंध आदि साधारण किया जा रहा है।